रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032020-216526
CG-DL-E-03032020-216526

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57]	नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2020/फाल्गुन 9, 1941
No. 57]	NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2020/PHALGUNA 9, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2020

(प्रकरण सं. एसएसआर 05/2020)

विषय : चीन जन.गण., मलेशिया, थाइलैंड तथा श्रीलंका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड' के आयातों के संबंध में द्वितीय निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत ।

1. **सं. 7/6/2020-डीजीटीआर.**—मै. ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ ग्रीनपेनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मै. सेंचुरी प्लाईबोर्डर्स (इंडिया) लि. तथा मै. रूशिल डेकोर लिमिटेड (इसके पश्चात आवेदकों के रूप में संदर्भित) ने चीन जन.गण., मलेशिया, श्रीलंका तथा थाइलैंड (इसके पश्चात संबद्ध देशों के रूप में संदर्भित) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 6 मिमि. अथवा उससे अधिक की मोटाई वाले ''प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर Pबोर्ड'' (इसके पश्चात ''विचाराधीन उत्पाद'' अथवा ''पीयूसी'' अथवा ''संबद्ध वस्तु'' के रूप में भी संदर्भित'') के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (इसके पश्चात ''अधिनियम'' के रूप में भी संदर्भित) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाप्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995

(इसके पश्चात ''नियमावली'' के रूप में भी संदर्भित) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात प्राधिकारी के रुप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है ।

2. आवेदकों ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने का आरोप लगाया है तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा से वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है ।

<u>पृष्ठभूमि</u>

3. चीन जन.गण., मलेशिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका तथा थाइलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा दिनांक 6 जून, 2008 की अधिसूचना सं. 14/12/2007-डी जी ए डी के माध्यम से मूल जांच की शुरूआत की गई थी । प्रारंभिक पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश दिनांक 2 फरवरी, 2009 की अधिसूचना सं. 14/12/2007-डी जी ए डी के माध्यम से की गई थी और दिनांक 27 फरवरी, 2009 की अधिसूचना सं. 21/2009-सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम से शुल्क लगाया गया था । इसके पश्चात चीन जन.गण., मलेशिया, श्रीलंका तथा थाइलैंड पर दिनांक 26 अगस्त, 2009 अधिसूचना सं. 14/12/2007-डी जी ए डी के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश लगाए जाने की सिफारिश की गई थी और उसे दिनांक 8 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना सं. 116/2009-सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम से लगाए गए थे।

4. एक निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) जांच की शुरुआत दिनांक 18 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं. 15/28/2013-डी जी ए डी के माध्यम से की गई थी और पाटनरोधी शुल्कों के विस्तार की सिफारिश दिनांक 17 अगस्त, 2015 की अधिसूचना सं. 15/28/2013-डी जी ए डी के माध्यम से सिफारिश की गई थी और उसे दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सं. 48/2015- सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था । वर्तमान पाटनरोधी शुल्क दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 तक वैध है ।

<u>विचाराधीन उत्पाद</u>

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड है । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पूर्व में की गई मूल जांच तथा प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसार इस उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

''विचाराधीन उत्पाद प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड है जिसे प्लेन एमडीएफ बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है । यह एक कंपोजिट लकड़ी का उत्पाद है जिसे यूरिया फार्मलडीहाइड्रेड रेसिन अथवा मेलामाइन रेसिन, ताप और दबाव के साथ मिलाकर लकड़ी के अपशिष्ट फाइबरों से बनाया जाता है । इसका व्यापक रूप से उपयोग इसकी चिकने और एक रूपी फिनिश के कारण पार्टीशन, मॉडल्यूर फर्नीचर, केबिनेट आदि के लिए किया जाता है । एमडीएफ बोर्ड का उत्पादन प्लेन रूप में किया जाता है और लेमिनेशन अतिरिक्त प्रोसेसिंग है जिसे प्लेन एफडीएफ बोर्ड के उत्पादन के बाद किया जाता है ।

लेमिनेटेड मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड (लेमिनेटेड एमडीएफ बोर्ड) विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से परे है । 6 मिमि. की मोटाई से कम के प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड को उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर किया गया है । तद्नुसार, विचाराधीन उत्पाद 6 मिमि. अथवा उससे अधिक की मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड है ।

6. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अत: विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जिसे पूर्व में की गई जांच में परिभाषित किया गया है । संबद्ध वस्तुओं को उप-शीर्षक 44111300 और 44111400 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 के अध्याय 4 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है । हालांकि संबद्ध वस्तुओं का आयात अन्य प्रशुलक उप-शीर्षकों अर्थात 44111200, 44111292, 44111293 और 44111294 के अंतर्गत भी आयात किया जा रहा है । सीमाशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह इस जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है ।

<u>समान वस्तु</u>

7. आवेदकों ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तु जिसे भारत में पाटित किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के सदृश वस्तुएं हैं । पाटित आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा आवेदकों द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद तकनीकी विर्निदेशनों, गुणवत्ता, कार्यों के मामले में अथवा अंतिम उपयोगों में

कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस कारण से इन्हें इस पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत ''समान वस्तु'' के रूप मे माना जाना चाहिए । अत:, वर्तमान जांच के उद्देश्य से, भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध वस्तुओं के ''समान वस्तु'' से बाहर के रूप में माना जा रहा है ।

<u>घरेलू उद्योग</u>

8. यह आवेदन मै. मै. ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ ग्रीनपेनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंचुरी प्लाईबोर्डर्स (इंडिया) लि. तथा. रूशिल डेकर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है । आवेदकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है और न ही इसका संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक तथा उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंध है । रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए आवेदकों का भारतीय उत्पादन का ''एक बहुत बड़ा हिस्सा'' है । उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकरी यह नोट करते हैं कि समान वस्तु का आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 47 प्रतिशत है । इस कारण से प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के आशय से घरेलू उद्योग के रूप में आवेदकों को माना है तथा इस नियमावली के नियम 5(3) के संबंध में स्थिति के मानदंड को भी पूरा किया है ।

<u>पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना</u>

i. <u>चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

9. आवेदकों ने इस नियमावली में अनुबंध-1 का पैरा 8(2) का उल्लेख किया है और उस पर विश्वास किया है और यह कहा है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियां इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) के संबंध में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में प्रचिलत हैं । आवेदकों ने यह दावा किया है कि चीन की घरेलू लागतों और कीमतों को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक चीन के निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था की जांच में सफल नहीं हो जाते हैं । आवेदकों ने यह दावा किया है कि चीन की घरेलू लागतों और कीमतों को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक चीन के निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था की जांच में सफल नहीं होते हैं । आवेदकेां ने यह उल्लेख किया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए । उपर्युक्त को देखते हुए, चीन जन गण के उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा खंडन किए जाने के अध्यधीन, चीन जन गण के लिए गैर बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में एक मान्यता बनाई गई है और चीन जन गण में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का अनुमान इस निमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के संबंध में लगाया गया है ।

10. आवेदकों ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में न्यूजीलैंड को लिया जा सकता है और न्यूजीलैंड ने कीमतों के संबंध सूचना उपलब्ध कराई है । सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के जारी किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें । इस जांच के लिए न्यूजीलैड को चीन जन. गण. के वास्ते सरोगेट देश के रूप में दावे की विस्तृत जांच लंबित रहने तक प्राधिकारी ने वर्तमान जांच की शुरूआत के उद्देश्य से चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य तय करने के वास्ते भारत में भुगतान योग्य कीमत के विकल्प को लिया है । न्यूजीलैंड को इस जांच में एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में चयन करने के लिए इस मुद्दे पर हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त करनेऔर उनका मूल्यांकन करने के बाद जांच की प्रक्रिया के दौरान परीक्षण किया जाएगा ।

11. तद्नुसार, जांच की शुरुआत के उद्देश्य से चीन जन गण के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चे को विधिवत समायोजित करने के साथ सबसे अधिक कार्यक्षम घरेलू उत्पादक की लागत के आधार पर किया गया है ।

ii. <u>मलेशिया, थाइलैंड तथा श्रीलंका के लिए सामान्य मूल्य</u>

12. मलेशिया, थाइलैंड और श्रीलंका के मामले में आवेदकों ने बाजार अनुसंधान रिपोर्ट में सूचित संबद्ध देशों में प्रचलित कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है ।

iii. <u>निर्यात कीमत</u>

13. प्राधिकारी ने वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के लेनदेनवार आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों के लिए संबद्ध वस्तुओं के वास्ते निर्यात कीमत का परिकलन किया है । समुद्री

भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय भाड़े संबंधी खर्च, पत्तन खर्च और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं।

iv. पाटन मार्जिन

14. उपर्युक्त में निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, पाटन मार्जिन का निर्धारण सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9 क(1) (क) के अनुसार किया गया है। यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है बल्कि यह बहुत अधिक भी है। इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमतों से बहुत अधिक है जो यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का निर्यात पाटित कीमतों पर किया जा रहा है और इस प्रकार से यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पाटित कीमतों पर निर्यात किए जा रहे हैं जो यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों के मूल क अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुअें का निर्यात पाटित कीमतों पर किया जा रहा है।

क्षति का निरंतर जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना

15. आवेदकों ने पाटित आयातों की मात्रा, कम कीमत पर कटौती और कम कीमत पर बिक्री, घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव तथा क्षमता के उपयोग, लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ के मामले में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में परिणामी गिरावट के आधार पर घरेलू उद्योग को लगातार क्षति होने का दावा किया है। इस बात का भी प्रथमदृष्टया साक्ष्य है कि निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत का औचित्य बताने के लिए मलेशिया और श्रीलंका से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हो रही है। हालांकि आवेदकों ने पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने पर क्षति के फिर से होने की संभावना के अपने तर्कों को सिद्ध करने के लिए संबद्ध देशों में उपयोग न की गई और स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताओं के संबंध में सूचना दिए जाने के साथ-साथ संबद्ध देशों में बहुत अधिक मात्रा में संस्थापित उत्पादन क्षमताओं, माल भंडार, उत्पादकों का निर्यातन्मुखीकरण के संबंध साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

16. इस कारण से उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों अर्थात चीन जन. गण. मलेशिया, थाइलैंड और श्रीलंका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को लगातार लगाए जाने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस तथ्य की जांच करने कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने पर घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है, इस नियमावली के नियम 23 के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच आरंभ करते है।

जांच की अवधि

17. प्राधिकारी ने 1 अप्रेल, 2018 से 30 सितंबर, 2019 तक (18 माह) की जांच की अवधि का प्रस्ताव करते हैं। क्षति की जांच की अवधि में 1 अप्रेल, 2015 से 31 मार्च, 2016, 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 और जांच की अवधि शामिल होगी।

संबद्ध देश

18. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण., मलेशिया, थाइलैंड तथा श्रीलंका हैं।

प्रक्रिया

19. इस समीक्षा जांच में दिनांक 17 अगस्त, 2015 की अधिसूचना सं. 15/28/2013-डी जी ए डी के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलू शामिल होंगे जिसमें चीन जन.गण., मलेशिया, श्रीलंका तथा थाइलैंड से प्लेन मीडियम डेनासिटी फाइबर बोर्ड के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की सिफारिश की गई है।

20. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा में लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

21. संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में इसके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तुओं से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे दी गई समयसीमा के भीतर निर्धारित रूप में और ढंग से सभी संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है।

22. अन्य कोई भी हितबद्ध पक्षकार नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप एवं तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध भी कर सकते हैं।

23. सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रेषित किए जा सकते हैं :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वे अन्य पक्षकारों को उस अनुरोध का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएं।

समय-सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए जिससे कि इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जाए। हालांकि यह भी नोट किया जाए कि उक्त उप-नियम की व्याख्या के संबंध में, सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाले नोटिस के संबंध में यह माना जाएगा कि वह उस तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हो गया है जब इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को संप्रेषित किया गया था। यदि कोई सूचना निर्धारित समयसीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती हो अथवा प्राप्त सूचना पूर्ण नहीं हो, तब प्राधिकारी इस नियमावली के अनुसार, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी जांच परिणामों को रिकॉर्ड कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित(हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचना दें और उपर्युक्त समयसीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकर से यह अपेक्षित है कि वे इस नियमावली के नियम 7(2) तथा इस संबंध में जारी किए गए व्यापार नोटिसों के संबंध में उसका एक अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का पालन नहीं करने पर प्रत्युत्तर/अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।

28. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो, दो अलग- अलग सैटों में उन्हें प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

i. एक सैट गोपनीय रूप में चिन्हित (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, विषय सूची आदि सहित), और

ii. दूसरा सैट अगोपनीय रूप में चिन्हित (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, विषय सूची आदि सहित)।

29. "गोपनीय अथवा अगोपनीय" अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में स्पष्ट से चिन्हित किया जाना चाहिए। ऐसे चिन्ह के बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उन अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए

स्वतंत्र होंगे । दोनों पाठों की सॉफ्ट प्रतियां प्रत्येक की दो (2) सेटों में हार्ड कॉपी के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा

30. गोपनीय पाठ में वे सभी सूचना निहित होंगी जो गोपनीय प्रकृति के हैं और/अथवा अन्य प्रकार की सूचना है जो इस प्रकार की सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा गोपनीय के रूप में दावा किया गया है। उस सूचना के लिए, जिसके संबंध में गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा वह सूचना जिसके संबंध में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचना देने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ-साथ सही कारण का विवरण उपलब्ध कराएं कि क्यों इस प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है ।

31. अगोपनीय पाठ के लिए यह अपेक्षित है कि वह गोपनीय सूचना अधिमानत: अथवा कवर किया (यदि अनुक्रमण संभव नहीं हो) और उस सूचना जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया हो, के आधार पर सारांश किए जाने के साथ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति हो । अगोपनीय सारांश विस्तृत ब्यौरे के साथ होने चाहिए जिसमें कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के अर्थ को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके । हालांकि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि क्यों इसका सारांश किया जाना संभव नहीं है ।

32. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं । यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाली इस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं हैं अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में इसके प्रकटन के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तब प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं ।

33. उसके सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में सही कारण का विवरण दिए बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

34. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे ।

<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

35. इस नियमावली के नियम 6(7) के संबंध में, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।

<u>असहयोग</u>

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना तक पहुंच की अनुमति देने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है तब प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें, जिसे वे उचित मानते हों, कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2020

(Case No. SSR-05/2020)

Subject : Initiation of Second Sunset Review investigation concerning imports of "Plain Medium Density Fibre Board" originating in or exported from China PR, Malaysia, Thailand & Sri Lanka.

1. **F. No.7/6/2020-DGTR.—**M/s. Greenply Industries Limited/ M/s Greenpanel Industries Limited, M/s. Century Plyboards (India) Ltd. and M/s. Rushil Decor Limited (hereinafter referred to as the “Applicants”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time

(hereinafter also referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Rules"), for Sunset Review anti-dumping investigation concerning imports of Plain Medium Density Fibre Board having thickness of 6mm or more (hereinafter also referred to as "product under consideration" or "PUC" or "subject goods"), originating in or exported from China PR, Malaysia, Sri Lanka & Thailand (hereinafter also referred to as the "subject countries").

2. The Applicants have alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating in or exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry and have requested for sunset review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Background

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from China PR, Malaysia, New Zealand, Sri Lanka & Thailand was initiated by the Authority vide Notification No.14/12/2007-DGAD dated 6th June 2008. Preliminary anti-dumping duties were recommended vide Notification No. No.14/12/2007-DGAD dated 2nd February 2009 and imposed vide Notification No. 21/2009-Customs (ADD) dated 27th February 2009. Thereafter, definitive anti-dumping duties were recommended for imposition on China PR, Malaysia, Sri Lanka & Thailand vide Notification No. No. 14/12/2007-DGAD dated 26th August 2009 and the same were imposed vide Notification No. 116/2009-Customs (ADD) dated 8th October 2009.

4. A Sunset Review (SSR) investigation was initiated vide Notification No. 15/28/2013-DGAD dated 18th February, 2014. The extension of anti-dumping duties was recommended vide Notification No. 15/28/2013-DGAD dated 17th August, 2015 and the same was imposed vide Notification No. 48/2015-Customs (ADD) dated 21st of October, 2015. The current Anti-dumping duty is valid up to 20th October 2020.

Product under Consideration

5. The product under consideration as in the original investigation is "Plain Medium Density Fibre board having thickness of 6mm or more". As per the original investigation & first Sunset review investigation carried out by the Designated Authority earlier, the product has been defined as under.

> The product under consideration is Plain Medium Density Fibre Board, also known as Plain MDF Board. It is a composite wood product made out of wood waste fibres glued together with urea formaldehyde resin or melamine resin by applying heat and pressure. It is widely used for partitions, Modular furniture, cabinets etc, due to its smooth and uniform finish. MDF Board is produced in plain form and lamination is additional processing which is carried out after production of Plain MDF Board.
>
> The laminated Medium Density Fibre Board (laminated MDF Board) is beyond the scope of product under consideration. The Plain Medium Density Fibre Board below 6MM thickness is excluded from the product scope. The product under consideration accordingly is, "Plain Medium Density Fibre Board having thickness of 6 MM or more.

6. The present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as in the previously conducted investigation. The subject goods are classifiable under Chapter 4 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-headings 44111300 & 44111400. However, the subject goods are being imported under other tariff sub-heading i.e. 44111200, 44111292, 44111293 and 44111294 as well. These custom classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

Like Article

7. The Applicants have claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicants in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic Industry

8. The application has been filed by M/s. Greenply Industries Limited/ M/s. Greenpanel Industries Limited, Century Plyboards (India) Ltd. and Rushil Decor Limited. The Applicants have claimed that they neither imported the subject goods from the subject countries nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India. Considering the information on record, Applicants account for "a major proportion" of the Indian production. The Authority has, therefore, considered

the Applicants as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2 (b) and also satisfying the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules.

<u>Likelihood of continuation or recurrence of dumping</u>

i. <u>Normal Value for China PR</u>

9. The Applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The Applicants have cited Para 8(2) of Annexure I of the Rules and have stated that the Chinese producers should be directed to show that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms Para 8(3) of Annexure I of the Rules. The Applicants have stated that for China, normal value should be determined in accordance with para-7 and 8 of Annexure I of the Rules. In view of the above, subject to rebuttal by the responding exporters from China PR, a presumption has been made regarding non-market economy for China PR and normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

10. The Applicants have claimed that New Zealand may be taken as an appropriate market economy third country for the construction of normal value for China PR. All interested parties are advised to offer their comments on this issue within 30 days from the date of issuance of initiation notification. Pending detailed examination of the claim of New Zealand as surrogate country for China PR for this investigation, the Authority, for the purpose of initiation of the present investigation, has taken the option of the price payable in India for constructing normal value for the China PR. The claim of the petitioner for choosing New Zealand as an appropriate market economy third country in this investigation would, however, be examined during the course of investigation on receipt of the comments from interested parties on this issue.

11. Accordingly, for the purpose of initiation, normal value has been constructed for China PR, on the basis of cost of production in India, based on the cost of most efficient domestic producer with selling, general and administrative expenses, duly adjusted.

ii. <u>Normal Value for Malaysia, Thailand & Sri Lanka</u>

12. In case of Malaysia, Thailand & Sri Lanka, the Applicants have claimed normal value on the basis of prices prevailing in respective countries, based on prices reported in a Market Research Report.

iii. <u>Export Price</u>

13. The Authority has computed the export price for subject goods for the subject countries based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges.

iv. <u>Dumping Margin</u>

14. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Act. It is noted that dumping margin is not only above *de minimis* level, but also significant. There is prima facie evidence that normal value of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being exported at dumped prices.

<u>Likelihood of continuation or recurrence of Injury</u>

15. The Applicants have claimed continued injury to the domestic industry, on the basis of volume of dumped imports, price undercutting and underselling, depressing and suppressing effect on prices of the domestic industry and consequent deterioration in performance of the domestic industry in respect of capacity utilization, profits, return on capital employed and cash profits. There is prima facie evidence of continued injury to the domestic industry by dumped imports from Malaysia and Sri Lanka. However, the Applicants have furnished evidence with regard to significant installed production capacities, inventories, export orientation of the producers in the subject countries, along with information on unutilized and freely disposable capacities in the subject countries to substantiate their arguments of likelihood of recurrence of injury on cessation of the anti-dumping duty.

<u>Initiation of Sunset Review</u>

16. Therefore, in view of above, the Authority hereby initiates a sunset review investigation, in terms of Rule 23 of the Rules, to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from subject countries to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

Period of investigation

17. The Authority proposes the period of investigation (POI) for the present investigation as 1st April 2018 to 30th September 2019 (18 Months). The injury investigation period will cover the periods 1st April 2015-31st March 2016, 1st April 2016- 31st March 2017, 1st April 2017- 31st March 2018, and the POI.

Subject Countries

18. The subject countries for the present investigation are China PR, Malaysia, Thailand & Sri Lanka.

Procedure

19. The review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 15/28/2013-DGAD dated 17th August 2015 recommending extension of anti-dumping duty on imports of Plain Medium Density Fibre board from China PR, Malaysia, Thailand & Sri Lanka.

20. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

21. The exporters in the subject countries, their governments through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

23. The information/ submission may be submitted to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street
New Delhi – 110001

24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties

Time Limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said sub rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

27. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

28. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:

i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

29. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in two (2) sets of each.

30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

34. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

35. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

36. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.03 22:56:10 +05'30'